

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- (1) अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
नैनीताल/देहरादून/गंगोत्री।
- (2) उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
देहरादून/हरिद्वार।

26
26/10/04

शहरी विकास/आवास अनुभाग

देहरादून:: दिनांक: 19 अक्टूबर, 2004

विषय:-राज्य के विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों के निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1136/श0वि0-आ0-2003-80(सा0)/03, दिनांक: 24 जुलाई, 2003 के द्वारा प्राधिकरणों के लिए निर्धारित भवन मानचित्र से संबंधित विभिन्न शुल्कों के संबंध में शासनादेश के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 को संशोधित कर शुल्कों का पुनर्निर्धारण किए जाने के उद्देश्य से संशोधित परिशिष्ट संलग्न कर इस आशय से आपको प्रेषित किया जा रहा है कि इस शासनादेश की जारी होने की तिथि से यह शुल्क समस्त विकास प्राधिकरणों में प्रभावी होंगे।

2. शासनादेश संख्या-1136/श0वि0-आ0-2003-80(सा0)/03, दिनांक: 24 जुलाई, 2003 के प्रस्तर-6 में की गयी यह व्यवस्था कि, "विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के लिए शुल्कों के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जायेंगे उनमें तब तक वर्तमान व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी," के द्वारा की गयी व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

Sery
V.C.
26.10.04

Spun

लाला अरुण
को फोटो डाली
जाए जो की 21/10/04 को 37341 लाला अरुण
पर शासनादेश संख्या 10/10/04 से प्रभावित किया जा रहा है
1-11-04

3. इस शासनादेश के साथ संलग्न परिशिष्ट के द्वारा निर्धारित मानचित्र शुल्क समस्त विकास प्राधिकरणों/समस्त विशेष क्षेत्र विकास समान रूप से लागू होंगे।

4. उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संख्या-4697/v/श0वि0-आ0-2004-तददिनांक।

प्रमाणित प्रतिलिपि

डॉ० एस०एस० सन्धु
सचिव।

संख्या-4697/v/श0वि0-आ0-2004-तददिनांक। प्रमाणित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) मण्डलायुक्त, गढ़वाल, पौड़ी/कुमाँयू, नैनीताल।
- (2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- (3) प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
- (4) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव।

letter-8(oct)

(4) गार्ड बुक।

विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।

	यातायात एवं परिवहन उपयोग	रु० 500.00
	मनोरंजन/पर्यटन उपयोग	रु० 3000.00
सुधार एवं विकास शुल्क	आवासीय भवन	निम्नानुसार भवन के समस्त तलों के आच्छादित क्षेत्रफल पर देय होगा - क- महायोजना में परिभाषित आवासीय घनत्व के आधार पर R3- न्यून घनत्व रु० 75.00 प्रति वर्ग मी० R-2 मध्य घनत्व रु० 55.00 प्रति वर्ग मी० R-1 उच्च घनत्व रु० 35.00 प्रति वर्ग मी० ख- मरूसी विकास क्षेत्र में महायोजना तैयार होने तक रु० 75.00 प्रति वर्ग मी, जबकि विशेष क्षेत्र में स्थित अन्य नगरीय क्षेत्रों में इसके आधे दर पर ग- ग्रामीण क्षेत्र, यदि पृथक से घनत्व परिभाषित नहीं, नियमानुसार आवासीय निर्माण की अनुमति पर रु० 35.00 प्रतिवर्गमीटर
	ग्रुप हाउसिंग	रु० 75.00 प्रति वर्ग मी०
	व्यावसायिक भवन	रु० 200.00 प्रति वर्ग मी०
	औद्योगिक भवन	रु० 100.00 प्रति वर्ग मी०
	शैक्षिक/स्वास्थ्य/तकनीकी शिक्षा, उपयोग के भवन	रु० 100.00 प्रति वर्ग मी०
	कार्यालय/संस्थागत/धर्मार्थ/सांस्कृतिक भवन अन्य सामुदायिक उपयोग के भवन	रु० 100.00 प्रति वर्ग मी०
	वेडिंग प्वाइन्ट/बैन्क्वेट हाल	रु० 200.00 प्रति वर्ग मी०
	सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग के भवन	रु० 75.00 प्रति वर्ग मी०
	मनोरंजन व पर्यटन भवन	रु० 75.00 प्रति वर्ग मी०
	पेट्रोल पम्प सम्बन्धी भवन	रु० 300.00 प्रति वर्ग मी०

me

ans

शासनादेश संख्या-५६९७/श०वि०-आ०-२००४-८०(सा०)/२००३, दि
अक्टूबर, २००४ का संलग्न:

परिशिष्ट

क्र०	शुल्क का नाम	उपयोग	निर्धारित कर विकास/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
1	2	3	4
1.	मानचित्र आवेदन	आवासीय उपयोग	
(1.1)	शुल्क	(क) आवासीय भवन	भू-खण्ड क्षेत्रफल 100 वर्गमी० तक ₹० 100.00, 101 से 200 वर्ग मी० तक ₹० 200.00, 201 से 300 वर्ग मी० तक ₹० 300.00 तथा उसके पश्चात, ₹ 2.00 वर्ग मी की दर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो।
		(ख) आवासीय तलपट मानचित्र आवेदन शुल्क	₹० 5000.00
		(ग) ग्रुप हाउसिंग मानचित्र	₹० 3000.00
(1.2)		व्यवसायिक उपयोग	75 वर्ग मीटर तक के भू-खण्ड पर ₹० 500.00 तथा 75 वर्ग मी० से अधिक ₹० 5000.00
(1.3)		व्यवसायिक तलपट मानचित्र शुल्क	₹० 5000.00
(1.4)		धार्मिक एवं तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के उपयोग	₹० 3000.00
(1.5)		कार्यालय/शैक्षिक/संस्थागत/तकनीकी संस्थान/आई०टी०/सामुदायिक उपयोग	₹० 3000.00
(1.6)		औद्योगिक उपयोग	₹० 3000.00
(1.7)		औद्योगिक तलपट मानचित्र आवेदन शुल्क	₹० 5000.00

[Signature]

[Signature]

	कृषि फार्म, कृषि कार्यकलाप गवन गुर्गी फार्म, मशरूम फार्म, सुअर पालन, मत्स्य पालन, पार्क आदि सम्बन्धी भवन	रु० 200.00 प्रति वर्ग मी०
3.	भू-उपयोग प्रमाण पत्र, पत्रावली पुनर्स्थापना एवं प्रतिलिपि शुल्क	न्यूनतम रु० 150.00 अथवा प्रति खरारा रु० 15.00 की दर से जो भी अधिक हो।
4.	पत्रावली पुनर्स्थापना शुल्क	अ-आवासीय-मानचित्र शुल्क का 50% ब-व्यवसायिक-मानचित्र शुल्क का 75% स-औद्योगिक-मानचित्र शुल्क का 50% द-अन्य-मानचित्र शुल्क का 30%
5.	प्रतिलिपि शुल्क	प्राधिकरण अभिलेख से निजी मानचित्र प्राप्ति के आवेदन करने पर प्रतिलिपि शुल्क के रूप में रु० 100.00 प्रति प्रतिलिपि की दर पर शुल्क देय होगा।

Lu

dhya